

लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

आग्नेय डिरेक्टर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

14. इमरजेंसी प्रान्शन OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

15. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।

16. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।

17. फायर स्टेशन का टेलीफोन/मोबोन 9454418490, 9454418491 और पुलिस कंट्रोल रूम का फोन नं० 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

18. प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।

19. वाहन की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:-

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखें।

20. रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

21. मानचित्र में अंकित NOTS में बिन्दु संख्या 1-22 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

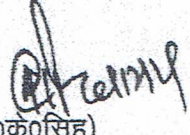
अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट

1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत प्रोवीजनल हेतु आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मथुरा के द्वारा भूमि खसरा संख्या 3179,

ग्राम-नौगवा, ब्लॉक-सादाबाद, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस में नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या सस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-मानचित्र।


(ए०के०सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस